



फा. सं. एलबी-2021/7/99/इस्टलैब-एचओ-सीपीसीबी-एचओ /प्राइवेट

27 जुलाई 2026

मान्यता पत्र

सेवा में,

प्रयोगशाला प्रमुख,
मैसर्स सिद्धि ग्रीन एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड,
कमल आर्कड-द वर्टिकल सनक्लॉक,
कमर्शियल प्लॉट नंबर सी-3/3, एस.बी.आई. इंडस्ट्रियल ब्रांच के पास,
जी.आई.डी.सी., अंकलेश्वर- 393002, गुजरात।

विषय: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रयोगशाला के रूप में मैसर्स सिद्धि ग्रीन एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड, कमल आर्कड-द वर्टिकल सनक्लॉक, कमर्शियल प्लॉट नंबर सी-3/3, एस.बी.आई. इंडस्ट्रियल ब्रांच के पास, जी.आई.डी.सी., अंकलेश्वर- 393002, गुजरात की मान्यता के बारे में।

महोदय,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के.प्र.नि.बोर्ड) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के साथ आपके दिनांक 24/01/2026 के प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में, के.प्र.नि.बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने पर्यावरण प्रयोगशाला और सरकार के विश्लेषक की मान्यता के नवीनीकरण को अनुमोदन प्रदान किया है। तत्पश्चात, मैसर्स सिद्धि ग्रीन एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड, कमल आर्कड-द वर्टिकल सनक्लॉक, कमर्शियल प्लॉट नंबर सी-3/3, एस.बी.आई. इंडस्ट्रियल ब्रांच के पास, जी.आई.डी.सी., अंकलेश्वर- 393002, गुजरात को भारत की राजपत्र अधिसूचना में प्रयोगशाला की अनिवार्य प्रत्यायन/प्रमाणन की वर्तमान अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27/03/2029 (तीन साल) तक आईएसओ/ आईईसी 17025 और आईएस/आईएसओ 45001 की वैधता के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

2. निम्नलिखित विश्लेषकों को सरकारी विश्लेषक के रूप में अनुमोदित किया गया है:

1. श्रीमती खुशबू डी. पटेल
2. श्रीमती कुन्तल पी. शाह
3. श्री पूर्वेश एम. शाह

3. प्रयोगशाला अनिवार्य रूप से स्वीकृत निबंधन और शर्तों का पालन करते हुए निम्नलिखित परीक्षणों करेगी:

- क. **भौतिक परीक्षण:** चालकता, पीएच, कुल विलीन ठोस, कुल निलंबित ठोस, आविलता, रंग, तापमान, कुल ठोस और गंध।
- ख. **अकार्बनिक (सामान्य और गैर-धात्विक):** क्षारीयता, अमोनिकल नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड, कुल कठोरता, नाइट्राइट नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फेट, साइनाइड, विलीन ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फाइड, कुल अवशिष्ट क्लोरीन (टीआरसी), अम्लता, कुल केजेल्डाहल नाइट्रोजन (टीकेएन) और टोटल फास्फोरस।
- ग. **अकार्बनिक (सूक्ष्म मात्रिक धातु):** आर्सेनिक टोटल, बोरॉन, कैडमियम, टोटल क्रोमियम, क्रोमियम हेक्सावैलेट, तांबा, लोहा, सीसा, पारा, निकल, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एल्युमीनियम, बेरियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, वैनेडियम, सेलेनियम और सोडियम अवशोषण अनुपात (एसएआर)।
- घ. **ऑर्गेनिक्स (सामान्य) और ट्रेस ऑर्गेनिक्स:** बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), तेल और ग्रीस, फेनोलिक कम्पाउण्ड C₆H₅OH के रूप में और बेजोपाइरीन।
- ङ. **सूक्ष्म जीवविज्ञान परीक्षण:** टोटल कोलीफॉर्म, फीकल कोलीफॉर्म, ई.कोली, फीकल स्ट्रेप्टोकोक्की और टोटल प्लेट काउंट।
- च. **अविष विज्ञानी परीक्षण:** मछली का उपयोग करके विषाक्तता के मूल्यांकन के लिए जैव परख विधि (100% प्रवाह में 96 घंटे के बाद मछली का 90% जीवित रहना)।

जारी.

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032.

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.

दूरभाष /Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website: www.cpcb.nic.in

- छ. **मृदा/आपंक/तलछट और ठोस अपशिष्ट:** कटियन एक्सचेंज क्षमता (सीईसी), विद्युत चालकता, कार्बनिक कार्बन/पदार्थ (रासायनिक विधि), पीएच, मृदा नमी, कुल नाइट्रोजन, पाचन द्वारा धातुएं, उपलब्ध एन, पी, के; विनिमय योग्य Ca, Mg, Na और जल धारण क्षमता।
- ज. **परिसंकटमय अपशिष्ट:** संक्षारकता, ज्वलनशीलता (फ्लैश पॉइंट), 105°C पर क्षति (% नमी कंटेंट), 550°C पर सुखाने पर क्षति (% कार्बनिक कंटेंट) पीएच, कार्बनिक कार्बन/पदार्थ (रासायनिक विधि), कैलोरी मान, विषाक्तता विशेषता निक्षालन प्रक्रिया (टीसीएलपी), निक्षालन और निक्षालन में धातुएं और पेंट फ़िल्टर लिक्विड टेस्ट।
- झ. **परिवेशी वायु/पलायक उत्सर्जन:** नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ₂), सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂), पीएम₁₀, पीएम_{2.5}, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, अमोनिया, कण पदार्थ में धातुएं- सीसा, आर्सेनिक, निकल; और कणिकीय बेंज़ो-ए-पाइरीन (बीएपी)।
- ञ. **चिमनी गैस/स्रोत उत्सर्जन:** पार्टिकुलेट मीटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड (एनडीआईआर आधारित विधि), तापमान, नमी, ऑक्सीजन और हैलाइड (एचएफ/एचसीएल)।
- ट. **रव (शोर) स्तर:** परिवेश रव स्तर माप (20 से 140 डीबीए) और स्रोत रव स्तर माप (औद्योगिक प्रक्रिया, डीजी सेट) (20 से 140 डीबीए)।
- ठ. **मौसम संबंधी:** परिवेश का तापमान, हवा की दिशा, हवा की गति, सापेक्ष आर्द्रता और वर्षा।
4. प्रयोगशाला और विश्लेषकों की क्षमता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला को के.प्र.नि.बोर्ड द्वारा आयोजित विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण (एक्यूसी) अभ्यास में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। प्रयोगशाला किए गए नमूना विश्लेषण पर के.प्र.नि.बोर्ड को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
5. अधिसूचना के अनुसार, एक संयुक्त दल द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण/आवधिक निगरानी उस के उचित कामकाज, व्यवस्थित प्रचालन और प्रयोगशाला में तैयार किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिए की जाएगी।
6. प्रयोगशाला के पास नियमानुसार IEC/ISO:17025(2017) और IS/ISO:45001 का अपेक्षित प्रत्यायन और प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह मान्यता यथा लागू प्रत्यायन और नवीनीकरण के अधीन है और किसी भी निबंधन और शर्तों के गंभीर गैर-अनुपालन के मामले में, प्रयोगशाला को न्यूनतम दो साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और सरकार की ओर से अनधिकृत तरीके से कार्य करने के लिए, यथा लागू सिविल/आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
7. **मैसर्स सिद्धि ग्रीन एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड, अंकलेश्वर, गुजरात** को संबंधित अनिवार्य प्रत्यायन/प्रमाणीकरण के साथ मान्यता की समाप्ति से पूर्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेबपोर्टल ([https:// epalab.cpcb.gov.in](https://epalab.cpcb.gov.in)) का उपयोग कर के ऑनलाइन मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

भवदीया,

(नमिता मिश्रा)

वैज्ञानिक-ई एवं प्रभागप्रमुख
उपकरणीय प्रयोगशाला

27 July 2026

Recognition Letter

To,
The Head of Laboratory,
M/s Siddhi Green Excellence Private Limited,
Kamal Arcade-The Vertical Sunclock,
Comm. Plot No. C-3/3, Near SBI Industrial Branch,
GIDC, Ankleshwar- 393002, Gujarat.

Subject: Recognition of M/s Siddhi Green Excellence Private Limited, Kamal Arcade-The Vertical Sunclock. Comm. Plot No. C-3/3. Near SBI Industrial Branch. GIDC. Ankleshwar- 393002, Gujarat as Environmental laboratory under the Environmental (Protection) Act- 1986- reg.

Sir,

With reference to your application dated 24/01/2026 along with acceptance of the terms & conditions of the guidelines for recognition of environmental laboratories under the Environmental (Protection) Act, 1986, submitted to Central Pollution Control Board (CPCB), the Competent Authority of CPCB has accorded approval for renewal of recognition of Environmental laboratory and Govt. Analysts. Subsequently, **M/s Siddhi Green Excellence Private Limited, Kamal Arcade-The Vertical Sunclock, Comm. Plot No. C-3/3, Near SBI Industrial Branch, GIDC, Ankleshwar- 393002, Gujarat** shall be notified considering the current requirement of mandatory accreditation / certifications of the laboratory with a validity up to 27/03/2029 (for three years), subject to validity of ISO/IEC 17025 and IS/ISO 45001.

2. The following analysts have been approved as Government Analysts:

1. Smt Khushbu D. Patel
2. Smt Kuntal P. Shah
3. Sh. Purvesh M. Shah

3. The laboratory should compulsorily follow the accepted terms and conditions and may undertake the following tests:

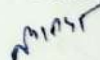
- a) **Physical Tests:** Conductivity, pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Turbidity, Colour, Temperature, Total Solids and Odour.
- b) **Inorganic (General and Non-metallic):** Alkalinity, Ammonical Nitrogen, Chloride, Fluoride, Total Hardness, Nitrite Nitrogen, Nitrate Nitrogen, Phosphate, Sulphate, Cyanide, Dissolved Oxygen, Calcium, Magnesium, Sulphide, Total Residual Chlorine (TRC), Acidity, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) and Total Phosphorus.
- c) **Inorganic (Trace Metals):** Arsenic (As) Total, Boron, Cadmium, Total Chromium, Chromium Hexavalent, Copper, Iron, Lead, Mercury, Nickel, Potassium, Sodium, Zinc, Aluminium, Barium, Cobalt, Manganese, Vanadium, Selenium and Sodium Absorption Ratio (SAR).
- d) **Organics (General) and Trace Organics:** Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Oil and Grease, Phenolic Compounds as C_6H_5OH and Benzopyrene.
- e) **Microbiological Test:** Total Coliform, Faecal Coliform, E. coli, Faecal Streptococci and Total Plate Count.
- f) **Toxicological Tests:** Bioassay Method for Evaluation of Toxicity Using Fish (90% survival of fish after 96 hrs in 100% effluent).

contd.

amg

- g) **Soil/Sludge/Sediment and Solid Waste:** Cation Exchange Capacity (CEC), Electrical Conductivity, Organic Carbon/Matter (Chemical Method), pH, Soil Moisture, Total Nitrogen, Metals by digestion, Available N, P, K; Exchangeable Ca, Mg, Na and Water Holding Capacity.
 - h) **Hazardous Waste (Liquid/Slurry/Sludge/Solid/Semi-Solid):** Corrosivity, Ignibility (Flash Point), Loss on Drying at 105°C (% Moisture Content), Loss on Drying at 550°C(% Organic content), pH, Organic Carbon/matter (Chemical method), Calorific Value, Toxicity Characteristic Leaching Procedure(TCLP) Leachate and Metals in Leachate (As,Cd,Cr,Pb,Ni) and Paint filter Liquid Test.
 - i) **Ambient Air/ Fugitive Emissions:** Nitrogen Dioxide (NO₂), Sulphur Dioxide (SO₂), PM₁₀, PM_{2.5}, Carbon monoxide, Ozone, Benzene, Ammonia, Metals in Particulate Matter- Lead, Arsenic, Nickel; and Particulate Benzo-a-Pyrine (BaP).
 - j) **Stack Gases/ Source Emission:** Particulate Matter, Sulphur Dioxide, , Oxides of Nitrogen, Carbon Dioxide, Carbon Monoxide (NDIR based Method), Temperature, Moisture, Oxygen and Halides(HCl/HF).
 - k) **Noise Level:** Ambient Noise Level Measurement (20 to 140 dBA) and Source Noise Level Measurement (Industrial Process, DG set etc) (20 to 140 dBA).
 - l) **Meteorological:** Ambient Temperature, Wind Direction, Wind Speed, Relative Humidity and Rain Fall.
4. The laboratory shall compulsorily participate in the Analytical Quality Control (AQC) Exercise conducted by the CPCB to ascertain the capability of the laboratory and analysts. The lab shall submit quarterly progress report on the sample analysis carried out to CPCB.
 5. The surprise inspection / periodic surveillance of the recognized environment laboratory will be undertaken to assess its proper functioning systematic operation and reliability of data generated at the laboratory by a Joint Team as per the Notification.
 6. The laboratory should have the mandatory requisite accreditation and certificate of the ISO: 17025 and ISO: 45001 as per rules. This recognition is subject to such accreditations and renewals as applicable and in case of serious non-compliance of any of the terms and conditions, the laboratory may be black listed for a minimum period of two years and civil/criminal proceedings, as applicable, may be initiated for performing functions on behalf of the Government in an unauthorized manner.
 7. **M/s Siddhi Green Excellence Private Limited, Ankleshwar, Gujarat** is required to apply for further renewal of recognition through online using CPCB web portal ([https:// epalab.cpcb.gov.in](https://epalab.cpcb.gov.in)) before expiry of recognition with mandatory accreditation / certification concerned.

Yours faithfully,



(Namita Mishra)
Scientist-E & Divisional Head
Instrumentation Laboratory